संख्या 4/25/2008-पी एंड पी डब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास करने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में सरकार ने उनके ऐसे दैनिक चिकित्सा व्यय जिनमें अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक नहीं है, को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शासित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास करने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा शासित तदनुरूप स्वास्थ्य योजनाओं में उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 100रू. प्रतिमाह की दर से नियत चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने हेतु इस विभाग के का.ज्ञा.सं. 45/57/97-पी एंड पी डब्ल्यू(सी) दिनांक 19/12/97 द्वारा अनुदेश जारी किए थे। आगे के स्पष्टीकरण इस विभाग के का.ज्ञा.सं.45/57/97-पीएंडपीडब्ल्यू(सी) दिनांक 24/8/98, 30/12/98 और 18/8/98 द्वारा जारी किए गए थे।

2. नियत चिकित्सा भत्ता को बढाने की मांग पिछले कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन रही है। नियत चिकित्सा भत्ता को 100/-रू. से बढाकर 300/-रू. प्रतिमाह की मंजूरी हेतु राष्ट्रपति की संस्वीकृति दी जाती है। नियत चिकित्सा भत्ता की मंजूरी हेतु अन्य शर्तें पूर्ववत प्रवृत रहेंगी।

3. ये आदेश 1/09/2008 से लागू होंगे।

4. ये आदेश वित्त मत्रालय(व्यय विभाग) की सहमति से उनके आई.डी नोट सं. 347/ई V/2010 दिनांक 14/5/2010 द्वारा तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से उनके यूओ. सं. 36-लेखापरीक्षा(नियमावली)/28-2-9 दिनांक 26/5/2010 द्वारा जारी किए जाते हैं।

(राज सिंह)
निदेशक

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग(डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. एन आई सी को पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग की वेबसाइट www.pensionersportal.gov.in पर 'परिपत्र' शीर्ष के अतंर्गत 'नियत चिकित्सा भत्ता' उपशीर्ष के अतंर्गत डालने हेतु।